



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आई०डी नं०: U40101UR2004SGC028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2646000 फैक्स नं० 0135-2643460, वेबसाइट: www.ptcul.org

सार्वजनिक सूचना

पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप), वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०) एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये कुल राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं।

टैरिफ याचिका के मुख्य बिंदु

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल), उत्तराखण्ड राज्य की पारिषद कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये कुल राजस्व आवश्यकता की स्वीकृति हेतु एक याचिका मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। पिटकुल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रस्ताव का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

अंतरराज्यीय पारिषद तंत्र के लिए पिटकुल के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप), वार्षिक निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०) एवं कुल राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2024-25 (ट्रू-अप)		वित्तीय वर्ष 2025-26 (ए०पी०आर०)		वित्तीय वर्ष 2026-27 (ए०आर०आर०)	
		टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 में अनुमोदित	राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) के लिए माँग	टैरिफ आदेश दिनांक 11.04.2025 में स्वीकृत	पुनरीक्षित आंकलन	टैरिफ आदेश दिनांक 11.04.2025 में अनुमोदित	अधियाचित
1	परिचालन एवं अनुरक्षण खर्च	226.42	226.62	239.62	229.85	266.64	280.97
2	ऋण पर ब्याज	38.47	46.81	40.39	62.37	64.61	90.10
3	इक्विटी पर रिटर्न	56.30	81.68	84.88	105.87	89.20	141.43
4	आयकर	-	15.24	-	-	-	-
5	अवक्षय	103.99	123.37	111.89	146.74	142.78	181.98
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	12.83	15.62	16.16	18.49	17.85	24.55
	कुल राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का योग	438.01	509.33	492.94	563.32	581.08	719.03
7	जोडा: पिछले वर्ष का राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) कालजन्म लागत के साथ	(44.32)	(44.32)	35.87	35.87	-	95.01
	कुल राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का योग	393.69	465.01	528.81	599.19	581.08	814.04
8	घटाया : नॉन टैरिफ आय	6.73	15.75	39.44	8.28	39.44	15.75
9	घटाया : लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार से आय	5.16	6.96	3.86	18.67	3.86	6.96
10	घटाया: नेचुरल आई०एस०बी०टी० लाईनों से राजस्व	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
	घटाया : यू०पी०सी०एल० को दिए गए प्रोत्साहन बिल के विरुद्ध राजस्व	-	1.44	-	1.08	-	-
	घटाया : पिटकुल के 400 के०वी० उपकेन्द्र काशीपुर में पी०जी०सी०आई०एल० हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण खर्च	-	0.44	-	0.44	-	-
11	शुद्ध कुल राजस्व आवश्यकता (एस०एल०डी०सी० को जोड़कर)	380.60	439.21	484.32	569.52	536.57	790.12
12	घटाया: एस०एल०डी०सी० शुल्क	16.23	-	15.94	-	22.30	-
13	शुद्ध कुल राजस्व आवश्यकता (एस०एल०डी०सी० को छोड़कर)	364.37	-	468.38	569.52	514.27	790.12
14	आयोग के आदेश दिनांक 11.04.2025 द्वारा तीन वार्षिक किश्तों में स्वीकृत पीडीएफ के माध्यम से पूर्व अंशपूजी पर लाभांश के लिए प्रावधान	-	-	78.56	78.56	78.56	78.56
15	कुल राजस्व आवश्यकता पीडीएफ के माध्यम से पूर्व इक्विटी पर रिटर्न को जोड़कर	-	-	546.94	648.08	592.83	868.68
16	राजस्व (अधिशेष)/अन्तर	-	74.90	-	-	-	-

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए (जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) के प्रभाव एवं प्रारम्भिक इक्विटी तथा पीडीएफ के माध्यम से इक्विटी योगदान पर रिटर्न सहित) 58.83 % वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है जिसके कारण यू०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के ऊपर उपभोक्ता टैरिफ में 2.82 % की अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, "विद्युत भवन", सहारनपुर रोड़, माजरा, आई०एस०बी०टी० के निकट, देहरादून-248002 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- उक्त प्रस्ताव आयोग की वेबसाइट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाइट (www.ptcul.org) पर भी उपलब्ध है।
- उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की प्रतिक्रिया/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई०एस०बी०टी०, पो०ओ०-माजरा, देहरादून-248171 पर अथवा ई-मेल द्वारा secy.uerc@gov.in प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों की विवरण सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिनांक 31.01.2026 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"